18-भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था

हम सभी परिवार में मिल-जुल कर रहते हैं। घर के सारे काम भी एक साथ मिलकर करते हैं और कुछ काम बँटे भी होते हैं। घर को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिनका पालन घर के सभी लोग करते हैं। ऐसे ही हमारे विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक होते हैं, जो शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ मिलकर स्कूल संचालन के नियम बनाते हैं। विद्यालय में रहने वाले सभी लोग इन नियमों का पालन करते हैं। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए भी नियम बनाए गए हैं।

घर, विद्यालय की तरह देश के काम-काज को चलाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है, जिसके अनुसार शासन काम करता है। अतः संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनी जिसे 'संविधान सभा' कहा गया। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। संविध्ाान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। डॉ0 भीमराव रामजी अम्बेडकर इसके अध्यक्ष बने। 02 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक लगातार परिश्रम करके इस सभा ने भारत का संविधान बनाया।

26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।

डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद

डॉ0 भीमराव रामजी अम्बेडकर

हमारे संविधान की विशेष बातें-

- हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न देश है। यह अपने नियम-कानून स्वयं बनाएगा।
- संविधान में हमारे देश को समाजवादी राज्य कहा गया है जिसका लक्ष्य समाज की आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करना है।
- संविधान में देश के सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की छूट मिली है।
- भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संविधान में नागरिकों को छः मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनको ग्यारह मूल कर्तव्य बताए गए हैं।
- केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जनता द्वारा चुनी गई सरकार है।
- संविधान के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग चुनाव में वोट डालते हैं।
- संविधान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।
- सामाजिक समानता मौलिक अधिकार है। बालिकाओं को भी बालकों के समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार उनके पालन-पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा से सम्बन्धित है ।

हमारा संघीय शासन- हमारा देश 29 राज्यों तथा 7 केन्द्रशासित क्षेत्रों का एक संघ है। इसमें केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन है। पूरे देश का शासन चलाने के लिए केन्द्र स्तर पर केन्द्रीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं।

केन्द्रीय सरकार के तीन अंग हैं -

- व्यवस्थापिका - कानून का निर्माण।
- कार्यपालिका - कानून को लागू करना।
- न्यायपालिका - कानून के अनुसार न्याय करना।

व्यवस्थापिका-कानून का निर्माण-

भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापिका को **'संसद'** कहते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। इसमें से राज्यसभा को **'उच्च सदन'** और लोकसभा को **'निम्न सदन'** कहते हैं।

लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। 25 साल या उससे अधिक आयु का व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है। इसके सदस्यों के चुनाव में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग वोट डालते हंै।

राज्यसभा स्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति दो वर्ष पर एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद (एम.पी.) कहते हैं।

संसद के दोनों सदन मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।

कार्यपालिका-कानून को लागू करना-

केन्द्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसे देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। वह 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति राश्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री भी राश्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राश्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर कार्यपालिका बनती है। संसद जो कानून बनाती है, उसे कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका देष की षासन व्यवस्था का संचालन करती है।

इसे भी जानें -

- राष्ट्रपति देष की जल, थल व वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है।

- राष्ट्रपति व्यवस्थापिका (संसद) का अंग होने के साथ-साथ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह निम्नलिखित कार्य करता है-

-संसद की बैठक बुलाना।
-कोई अध्यादेष (देष के लिए नियम या कानून) जारी करना।
-राज्यों में राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीषों की नियुक्ति करना आदि।

- उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।

न्यायपालिका-कानून के अनुसार न्याय करना

हमारे देश में नियमों, कानूनों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। हमारे देष में न्यायपालिका की संरचना इस प्रकार है-

सर्वोच्च न्यायालय-
हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायालय देश की राजधानी नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीष एवं अन्य न्यायाधीष होते है, जिनकी नियुक्तिराष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
उच्च न्यायालय-
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। इसकी एक खण्डपीठ लखनऊ में स्थापित है।
जिला न्यायालय-

जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं, जिन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

अन्य अदालतें-

आपसी विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत, पारिवारिक अदालत, उपभोक्ता अदालत भी हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए -

(क) संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

(ख) हमारा संविधान क्यों बनाया गया?

(ग) शासन के कितने अंग होते हैं ?

(घ) राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन सम्मिलित होता है ?

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

(क) हमारा भारतीय संविधान ..... को लागू किया गया।

(ख) प्रतिवर्ष 26 जनवरी को..... दिवस मनाया जाता है।

(ग) लोकसभा का कार्यकाल .....का होता है।

(घ) लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को ..... कहते हैं।

(ड.) राष्ट्रपति , लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर .....बनती है।

3. निम्नलिखित के मुख्य कार्य लिखिए-

(क) व्यवस्थापिका .....

(ख) कार्यपालिका .....

(ग) न्यायपालिका .....

4. अपने देश के वर्तमान राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री के चित्र एकत्र करके अपनी पुस्तिका में चिपकाएँ। चित्र के नीचे उनके कार्य लिखिए।

5. बालसभा में शिक्षक/शिक्षिका की सहायता से संसद की कार्यवाही के विषय में चर्चा कीजिए।